




# कार्यालय अंचल अधिकारी, करर्ग।

अभिलेख वाद सं०.....6/17...../2016-17


वाद का प्रकार:- संदिग्ध जमाबंदी की नियमितीकरण:-


तिथि	आदेश फलक	अभ्युक्ति												
<p style="color: blue; font-size: 1.2em;">02.01.18</p>	<p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा० दिनांक:- 13.05.16 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक भू- अनुज- सह- विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं० 03 खा०म०निति 119/85/2308/रा० दिनांक:- 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं० 914/रा० दिनांक:- 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गई जमाबंदीयों की जाँच प्रारंभ की गई। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया कि निम्नांकित भूमि की जमाबंदी संदिग्ध पायी गई:-</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">मौजा</td> <td style="text-align: center;">थाना नं०</td> <td style="text-align: center;">खाता नं०</td> <td style="text-align: center;">खेसरा नं०</td> <td style="text-align: center;">रकबा</td> <td style="text-align: center;">जमाबंदी रैयत का नाम</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>पदमपुर</u></td> <td style="text-align: center;"><u>168</u></td> <td style="text-align: center;"><u>42</u></td> <td style="text-align: center;"><u>176</u> <u>567</u></td> <td style="text-align: center;"><u>5.89 एक्स</u> <u>म</u></td> <td style="text-align: center;"><u>जिगा मुंसि 9210</u> <u>5/- दाउदा मुंसि</u></td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">पिता:-</p> <p>अतः वाद प्रारंभ किया गया तथा जमाबंदी रैयत को नोटिस देकर कागजात की मांग की गई मांग धारी के पुत्र/.....के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया 4/h के तहत अभिलेख प्रारंभ किया गया था। इसी बीच राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के संयुक्त सचिव श्री उदय प्रताप के पत्रांक 6205/रा० दिनांक 27.12.2017 तदानुसार अपर समाहर्ता, खूँटी के ज्ञापांक 1370/रा० दिनांक 29.12.2017के आलोक में सुयोग्य भूमि हीन व्यक्तियों को चिन्हित कर संदिग्ध जमाबंदी को नियमित करने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है। अतः उक्त आदेश के आलोक में चल रहे संदिग्ध जमाबंदी 4/h की कारवाई समाप्त की जाती है। <span style="color: blue;">दिनांक 05.01.18 वा उपस्थापित कर</span></p> <p style="text-align: right; color: blue;">               अंचल अधिकारी         </p> <p style="text-align: center;">करर्ग।</p>	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा	जमाबंदी रैयत का नाम	<u>पदमपुर</u>	<u>168</u>	<u>42</u>	<u>176</u> <u>567</u>	<u>5.89 एक्स</u> <u>म</u>	<u>जिगा मुंसि 9210</u> <u>5/- दाउदा मुंसि</u>	
मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा	जमाबंदी रैयत का नाम									
<u>पदमपुर</u>	<u>168</u>	<u>42</u>	<u>176</u> <u>567</u>	<u>5.89 एक्स</u> <u>म</u>	<u>जिगा मुंसि 9210</u> <u>5/- दाउदा मुंसि</u>									
<p style="color: blue; font-size: 1.2em;">05.01.18</p>	<p>अभिलेख उपस्थापित झारखण्ड सरकार के संकल्प सं० 6144/रा० दिनांक:- 21.12.17 के आदेश के अनुपालन में संदिग्ध जमाबंदी को नियमित करने हेतु हलका कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक <span style="color: blue;">08-01-18</span> को रखें।</p> <p style="text-align: right; color: blue;">               अंचल अधिकारी              करर्ग।         </p>													
<p style="color: blue; font-size: 1.2em;">08.01.18</p>	<p>अभिलेख उपस्थापित हलका कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन द्वारा नियमित करने हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसका अवलोकन किया। अवलोकन से पता चलता है कि चेक स्लीप दो प्रति समर्पित किया गया। वर्तमान में जमाबंदीदार की वंशावली में निम्न योग्य सदस्य है।</p>													

स्थल जाँच हेतु दिनांक:- 10.12.18 को रखें। अभिलेख दिनांक 11.12.18 को उपस्थापित करें।

  
अंचल अधिकारी  
करा।

अभिलेख उपस्थापित मेरे द्वारा ग्रामिणों के समक्ष स्थल जाँच किया गया। जमाबंदी रैयत के वंशज का उक्त भूमि पर दखल कब्जा पाया गया। हलका कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन प्रतिवेदन पक्ष है। अतः सरकार के संकल्प 6144/रा0 दिनांक:- 21.12.17 के आधार पर उक्त जमाबंदी को नियमित करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी को अग्रेतर कारवाई हेतु भेजे।

  
लेखापति एवं संशोधित  
अंचल अधिकारी  
करा।

  
अंचल अधिकारी  
करा।

~~रक्षक~~  
25/11/18